



# दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मुख्यालय, नई दिल्ली-110001

## THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

Corporate Office, New Delhi-110001

### कार्मिक प्रभाग (राजभाषा अनुभाग)

संः: एसटीसी/मुख्याः/काःप्रः/राःभाः/10020/2015

दिनांक: 30.08.2017

## "हिन्दी में काम करें और देश का गौरव बढ़ाएँ"

आदेश सं :: का.प्र./रा.भा./ / 00 /2017

विषय: हिंदी विज्ञापनों पर किए गए व्यय के संबंध में।

- 1. संसदीय राजभाषा समिति की 9वीं रिपोर्ट में हिंदी विज्ञापनों पर किए जाने वाले के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर जारी राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुसार "मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा"।
- 2. विज्ञापन जारी करने के संबंध में जनसंपर्क एवं विज्ञापन प्रभाग को जाँच-बिंदु बनाया गया है। अतः महामिहम राष्ट्रपित जी के उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन के लिए प्रभागाध्यक्ष (जनसंपर्क एवं विज्ञापन प्रभाग) जिम्मेदार होंगे और इसका विधिवत् अनुपालन सुनिश्चित करना संबंधित प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक का दायित्व होगा।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ॰ जगदीश प्रसाद)

म्ख्य प्रबंधक (राजभाषा)/राजभाषा प्रमुख

प्रति:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों एवं मुःसःअः के निजी सचिव
- सभी प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक
- प्रभागाध्यक्ष (जनसंपर्क एवं विज्ञापन प्रभाग)





## दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मुख्यालय, नई दिल्ली-110001

#### THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

Corporate Office, New Delhi-110001

Personnel Division (Rajbhasha)

NO.: STC/CO/Pers./OL/10020/2015

Dated: 30.08.2017

### "हिन्दी में काम करें और देश का गौरव बढ़ाएँ"

Order No.: PD/OL/ 100 /2017

Sub: With regard to expenditure on Hindi Advertisements.

- 1. As per Presidential Order with regard to expenditure on Hindi Advertisements on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in its 9<sup>th</sup> Report, "The advertisements which are released by the Ministries/Departments/ Offices/Undertakings etc., in English/Regional Languages, those will compulsorily be released in Hindi".
- 2. With regard to release of advertisements, Public Relations & Advertisements Division has been made a check-point. Therefore, HOD (PR & A) will be responsible for any violation of the above mentioned Presidential Grder and it will be the duty of the concerned Head of the Department/Branch Manager to ensure its compliance.
- 3. This is issued with the approval of the competent authority.

(Dr. Jagdish Prasad)

Chief Manager(OL) / OL Head

#### Copy to:

- Executive Secretary to CMD
- PS to all Directors & CVO
- All Divisional Head / Branch Managers
- HOD (PR & A)